(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/2136 विरूद्ध आदेश दिनांक 09-03-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 866/अपील/2013-14

राघव प्रसाद द्विवेदी आत्मज स्व. श्री रामनिश्चय
निवासी - ग्राम दुवगवा दुवान तह. मउगंज जिला रीवा (म.प्र.) .....**आवदेक**

विरूद्ध

1) बुद्धसेन द्विवेदी आत्मज रामरसीले
2) रामरसीले द्विवेदी आत्मज स्व. श्री रामनिश्चय
   निवासीगण - ग्राम दुवगवा दुवान तह. मउगंज
   जिला रीवा (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

श्री आर.एस.सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

आदेश

(आज दिनांक 29.06.2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-03-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा व्यवहार न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री के तहत तहसीलदार मऊगंज के समक्ष ग्राम दुवगंवा दुवान स्थित भूमि खाता क्रमांक 81 की भूमि किता 60 रकवा 12.34 एकड़ जो कि आवेदक एवं अनावेदक के परिवार के पुरूष स्व. श्री रामनिश्चय के स्वत्व आधिपत्य की भूमि थी, का बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जहां अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रकरण तहसीलदार मऊगंज के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय को हस्तातंरित किये जाने का आवेदन अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा 73/अंतरण/2011-12 के तहत अंतरण कर निराकरण हेतु तहसीलदार हनुमना को हस्तातंरित किया गया । तहसीलदार हनुमना द्वारा दिनांक 08-10-2013 को बंटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी तह. मऊगंज के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22-07-2014 को आदेश पारित तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त् द्वारा दिनांक 09-03-2018 को पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. यह कि उक्त अवैध आदेश जो तहसीलदार मऊगंज ने दिनांक 8-10-13 को पारित किया। उसकी प्रथम अपील आवेदक राघव ने अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के न्यायालय में प्र.क्रं.-12/अ27/13-14 आदेश दिनांक 22-7-14 दायर किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार करते हुये अपने आदेश मे यह माना की तहसीलदार ने बटवारा पुल्ली मे जो आदेश दिया है वह वटवारा नियमानुसार नही है तहसीलदार ने मौखिक साक्ष्य नही लिया, तथा पटवारी का

कथन भी नही कराया गया, अतः वंटवारा पुल्ली मौके से कब्जा के विपरीत है जो पुल्ली वुद्धसेन के नाम निर्मित की गयी है उस पुल्ली मे राघव के कब्जे की भूमि अंकित की गयी है जो विधि संगत नही है तथा अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का वटवारा आदेश निरस्त कर दिया जो उचित था।

2. यह कि अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अना. क्रमांक-1 वुद्धसेन ने द्वितीय अपील प्र.क्रं.-866/अपील/13-14 आदेश दिनांक-9-3-2018 अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय मे पेश किया लेकिन अपर आयुक्त रीवा ने आवेदक राघव के आपत्ति पर कोई निर्णय व निष्कर्ष अपने आदेश मे नही दिया इस विन्दु पर विचार नही किया कि आवेदक, अनावेदक के वटवारा प्रकरण मे साक्ष्य ली गयी, की नही, पटवारी का परीक्षण हुआ या नही, वटवारा का जो नियम है उसका पालन हुआ था या नही, यानी अपर आयुक्त ने इस महत्वपूर्ण विन्दु पर कोई निष्कर्ष नही दिया तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर विधिक भूल किया था जो कतई स्थिर योग्य नही है। उक्त अपर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध होकर यह निगरानी आवेदक ने पेश की है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने अपने निर्णय के पैरा 6 मे यह निष्कर्ष दिया कि सिविल न्यायालय की डिक्री राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया लेकिन अपर आयुक्त ने इस बात पर विचार नही किया कि अनावेदक क्रमांक-1 ने जो दावा दायर किया था उक्त दावा के कंडिका 11 मे वुद्धसेन ने यह स्वीकृत रूप से अभिवचन किया था कि वादग्रस्त भूमि मे ½ पर निगरानीकर्ता राघव का हक है तथा ½ भाग मे 1/6 भाग का व्यवहार वाद दायर किया था आवेदक के हिस्सा ½ भाग पर वादपत्र दायर नही किया था वुद्धसेन ने वादपत्र मे यह अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि मे ½ भाग पर राघव का पथक कब्जा स्थापित है। अनावेदक बुद्धसेन ने बादपत्र में भी उल्लेख किया था कि वह दावा वादग्रस्त भूमि रकवा 12-34ए. के आधे हिस्सा 6-17ए. पर प्रस्तुत किया है । वादपत्र के पैरा 8 में राघव का कब्जा 6-17ए. पर होना स्वीकार करते हुये अभिवचन किया था तथा दावा के पैरा 11 में

½ रकवा 6-17ए. भाग पर अनुतोष बुद्धसेन ने चाहा था लेकिन बुद्धसेन ने पटवारी हल्का को अपने प्रभाव में लेकर कब्जा के विपरीत पुल्ली बनवाकर बटवारा करा लिया । आवेदक के आपित्त करने पर भी पटवारी को कूट परीक्षण के लिये आहूत नही किया गया इस बिन्दु पर अपर आयुक्त ने कोई विचार नही किया तथा विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया।

4. यह कि वंटवारा नियम 6 के अनुसार फर्द वंटवारा मे सभी हिस्सेदारो के हस्ताक्षर होना चाहिये। आवेदक राघव की उपस्थिति मे वंटवारा पुल्ली पटवारी द्वारा नई बनाई गयी। राघव के हस्ताक्षर भी वटवारा पुल्ली मे नही बने है इस कारण वटवारा निरस्त योग्य था इस संबंध में नरेन्द्र सिंह बनाम रंजीत 1995 आर.एन. 230 का अवलोकन किया जाय। इस कारण वंटवारा निरस्त योग्य है उपरोक्त संबंध में अपर आयुक्त ने अपने निर्णय में विचार नहीं किया।

5. यह कि अना.क्रमांक-1 ने वादपत्र के पैरा 15 में अभिवचन किया है कि राघव प्रसाद एक औपचारिक पक्षकार है उसके विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गयी है इस कारण आवेदक के हिस्सा ½ भाग की भूमि पर वटवारा आदेश व पुल्ली शून्य है अत: अपर कमिश्नर व तहसीलदार का आदेश निरस्त योग्य है तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6. यह कि अना. क्रमांक-1 वुद्धसेन ने सिविल डिक्री के आधार पर तहसील न्यायालय में प्र.क्रं.-185अ6/04-05 आदेश दिनांक 23-8-2005 को वुद्धसेन के पक्ष में नामान्तरण किया था जिसके खसरा सुधार का आवेदन रामरसीले ने प्र.क्र.-43अ6/12/13 प्रस्तुत किया था जिसकी अभी भी अपील आयुक्त महोदय रीवा के न्यायालय मे विचाराधीन है अत: वुद्धसेन के पक्ष में पारित नामान्तरण ही अभी तक अंतिम आदेश नहीं है तव उसके आधार पर वटवारा पुल्ली गलत है क्योंकि जव तब रामरसीले द्वारा खसरा सुधार के प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नही हो जाता, तव तक वुद्धसेन के पक्ष में पारित नामान्तरण अंतिम नही कहा जा सकता, क्योंकि वुद्धसेन का हक अभी तक विनिश्चित नही हुआ है इस कारण वंटवारा

करना न्यायोचित नही था इस पर अपर आयुक्त ने विचार नही किया इस कारण भी आदेश स्थिर योग्य नही है।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्त द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. यह कि निगरानी के पैरा क्रं. 7 में निगरानीकर्ता द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमियों का पूरा रकवा सन 1988 के आपसी हिस्सा बांट में निगरानीकर्ता को मिलना उल्लिखित किये जाने से स्वत्व, आधिपत्य संबंधी प्रमुख आधार हिस्सा बांट के तथ्य के प्रमाणीकरण का भार धारा 101 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख रूप से निगरानीकर्ता पर है। निगरानी का उक्त मुख्य आधार यदि निगरानीकर्ता द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है तो मात्र इसी बिन्दु पर प्रस्तुत निगरानी अपास्त योग्य है।
2. यह कि, प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि 60 किता भूमियां कुल रकवा 12.34 एकड स्थिति ग्राम दुवगंवा दुवात तह. मऊगंज जिला रीवा का 1/6 भाग रकवा 2.05 ए. के रकवे के अनुरूप बंटवारा आदेश पटवारी द्वारा निर्मित बटवारा पुल्ली के अनुसार उक्त प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 8.10.2013 को प्रकरण क्रं. 39अ/27/09-10 के अनुसार धारा 178 म. प्र. भू. रा. संहिता सन 1969 के प्रावधानों के अनुसार गैर निगरानीकर्ता क्रं. 1 के पक्ष में पारित किया गया था। उक्त बिन्दु निगरानी के पैरा क्रं. 2 में भी स्वीकृत है।
3. यह कि, प्रश्नाधीन भूमियों के रकवा 2.05 ए. की कीमत 10 प्रतीशत से अधिक होना नि:संदेह प्रमाणित है। फलत: निगरानी में वर्णित सन् 1988 के हिस्सा बॉट संबंधी तथ्य को रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानो के अनुसार अनिवार्य है। किन्तु उक्त हिस्सा बॉट संबंधी कोई पंजीकृत दस्तावेज होना धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानो के अनुसार अनिवार्य है। किन्तु उक्त हिस्सा बॉट संबंधी कोई पंजीकृत दस्तावेज माननीय न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। फलत: निगरानी में वर्णित उक्त प्रमुख आधार दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं हुआ है। इस संबंध में निम्न न्याय दृष्टांत अवलोकन है।

आर. एन. 213 पेज 81 उच्च न्यायालय

आर. एन. 241 पेज 81 उच्च न्यायालय

4. यह कि, प्रश्नाधीन आदेश से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकर्ता क्रं. 1 बुद्धसेन के पक्ष में सिविल अपील प्रकरण क्रं. 105ए/04 में दिनांक 29.07.2005 को निर्णय डिक्री प्रश्नाधीन भूमियों के बारे में पारित की गई थी जिसके अनुसार गैर निगरानीकर्ता क्रं.1 के पक्ष में नामांतरण आदेश दिनांक 23.08.2005 को राजस्व प्रकरण क्रं. 185/अ-6/04-05 के अनुसार पारित किया गया था। फलत: धारा 178 म.प्र. भू. रा. सं. सन 1959 के अनुसार विधिवत इश्तहार प्रकाशन पश्चात हल्का पटवारी द्वारा निर्मित बंटवारा पुल्ली के अनुसार प्रश्नाधीन भूमियों का बंटवारा आदेश दिनांक 08.10.2013 को पारित किया गया था।

5. यह कि, गैर निगरानीकर्ता क्रं. 1 के पक्ष में पारित बंटवारा आदेश दिनांक 08.10.2013 प्रकरण क्रं. 39/अ-27/09-10 में संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 178 म.प्र. भू. रा. संहिता सन 1959 में वर्णित उपबंधों का पालन करते हुए हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा पुल्ली के संबंध में प्रस्तुत आपित्त का निराकरण किया जाकर पुल्ली के प्रकाशन पश्चात विधि अनुसार बंटवारा अदोश पारित किया गया था। फलत: उक्त बंटवारा आदेश विधि अनुसार न होने का निगरानी में उल्लिखित आधार सारहीन है।

6. यह कि, प्रश्नाधीन आदेश में वर्णित व अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों में संलग्न उक्त सिविल अपील प्रकरण क्रं. 105ए/04 में पारित निर्णय डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होने का निष्कर्ष विधि अनुसार है। कथित निर्णय डिक्री में भी उक्त वर्णित निगरानी के पैरा क्रं. 7 की भूमियों का पूरा करवा सन 1988 के हिस्सा बॉट के अनुसार निगरानीकर्ता राघव प्रसाद को प्राप्त होना प्रमाणित नहीं माना गया है। बल्कि उक्त सिविल अपील प्रकरण में उक्त हिस्सा बॉट संबंधी

अभिवचन ही नहीं किया गया था। फलतः उक्त सिविल अपील प्रकरण में निगरानीकर्ता भी पक्षकार होने से उसके प्रतिकूल निगरानी में अभिवचन करने से बिबंधित है।

7. यह कि, गैर निगरानीकर्ता क्रं. 1 के पक्ष के नामांतरण आदेश दिनांक 23.08.2005 को गलत इत्तला हल्का पटवारी द्वारा हिस्से के संबंध में खसरे में दर्ज किये जाने पर खसरा सुधार हेतु आवेदन पत्र गैर निगरानीकर्ता क्रं. 2 रामरसीले द्वारा तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा के न्यायालय में जरिये प्रकरण क्रं. 43अ/6अ/12-13 प्रस्तुत किया गया था जिस पर सिविल अपील के निर्णय डिक्री में दर्ज 60 किता भूमियों के अनुरूप 1/6 भाग पर गैर निगरानी कर्ता क्रं. 1 बुद्धसेन का नाम व शेष 5/6 भाग पर व हिस्सा बराबर निगरानीकर्ता राघव प्रसाद व गैर निगरारी क्रं. 2 रामरसीले का नाम खसरे में दर्ज करने संबंधी वैध आदेश दिनांक 04.10.2013 को पारित किया गया था। उक्त आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.13 को निरस्त कर लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा पुल्ली के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है उसमें बंटवारा नियमों के अनुसार मौखिक साक्ष्य नहीं ली गई है और ना ही न्यायालय के समक्ष पटवारी का कथन लिया गया है। मौके पर कब्जा के विपरीत बंटवारा पुल्ली निर्मित किया जाना प्रमाणित है। जबकि सिविल अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 105ए/14 आदेश दिनांक 29.07.05 में अनावेदकगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग की डिक्री पारित की गई थी। तदनुसार तहसीलदार के द्वारा आदेश पारित किया गया जो उचित है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय सिविल न्यायालय की डिक्री पर ध्यान नहीं देते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। चूंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के

आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के अनुरूप होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त् रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2018 स्थिर रखा जाता है।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर